बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय
पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, बिहार, पटना - 800001

सं०-06/दि०स०नि०(स्था०)-06/2024 स.क.　　　　　　पटना, दिनांक-

प्रेषक,

विजय प्रकाश मीणा, भा०प्र०से०,
निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः- **मानसिक रूप से नि:शक्त / रूग्ण बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष 'आसरा' गृह के संचालन हेतु प्रस्तावों के आमंत्रण संबंधित विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग द्वारा पटना जिले में 50 आवासिनों (मानसिक रूप से नि:शक्त / रूग्ण बालिकाओं एवं महिलाओं) की क्षमतायुक्त 03 विशेष गृहों 'आसरा' का संचालन किया जाना है । इस निमित्त आसरा गृह संचालन हेतु प्रस्तावों के लिए आमंत्रण प्रचारित किया जाना आवश्यक है ताकि गृह संचालन की दिशा में अविलंब कार्य किया जा सके।

अत: अनुरोध है कि संलग्न अनुमोदित विज्ञापन सामग्री बिहार प्रदेश / देश के प्रमुख सामाचार पत्रों में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लगातार तीन-चार दिनों तक प्रकाशित करने की कृपा की जाय ।

अनु०-अनुमोदित विज्ञापन सामग्री का मूलप्रति, सी०डी० सहित।

विश्वासभाजन
ह०/-
निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-06/दि०स०नि०(स्था०)-06/2024 स.क. 188 पटना, दिनांक:- 30/01/2025

प्रतिलिपि:-

(1) आई०टी० मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि 'आसरा' गृह के संचालन हेतु प्रस्तावों के आमंत्रण से संबंधित विज्ञापन को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे ।

(2) अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

सं०–06/दि०स०नि०(स्था0)–06/2024 स.क.

बिहार सरकार

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय

(समाज कल्याण विभाग)

मानसिक रूप से निःशक्त / रूग्ण बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष 'आसरा' गृह के संचालन हेतु प्रस्तावों का आमंत्रण

मानसिक रूप से निःशक्त महिलाओं एवं बालिकाओं की समुचित देखरेख, संरक्षण, चिकित्सीय देखभाल, काउन्सिलिंग एवं शिक्षण–प्रशिक्षण के माध्यम से पुर्नवासित करने के लिए पटना में 50 आवासिनों की क्षमतायुक्त तीन विशेष गृह 'आसरा' के संचालन के लिए प्रतिष्ठित एवं निबंधित गैर–सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

1. **स्वयंसेवी संस्थाओं हेतु न्यूनतम अर्हताएँ :–**

(i) **संस्था का अस्तित्वः**–संस्था सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत निबंधित होना चाहिए।

(ii) **संस्था का अन्य पंजीकरणः**–संस्था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–51 के तहत राज्य आयुक्त निःशक्ता कार्यालय / निःशक्त व्यक्ति, 1995 की धारा–52 या दिव्यांगता कार्यालय से निबंधित होना चाहिए।

(iii) **अन्य निबंधनः**–संस्था भारत सरकार के नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से निबंधित होना चाहिए।

(iv) **संस्था के MOA:**–संस्था के MOA (Memorandum of Association) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर भेजना होगा।

(v) **अंकेक्षण प्रतिवेदनः**–संस्था का प्रति वित्तीय औसत टर्नओवर न्यूनतम रू० 40.00 लाख हो तथा इस हेतु पिछले तीन वित्तीय वर्षो यथा वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का CA द्वारा किये गये अंकेक्षण प्रतिवेदन को संलग्न करना होगा।

(vi) **आयकर रिटर्न्सः**–संस्था आयकर अधिनियम के तहत निबंधित है या नहीं ? संस्था को विगत तीन वित्तीय वर्षो यथा वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करनी होगी ।

(vii) **वार्षिक प्रतिवेदनः**–संस्था को पिछले तीन वित्तीय वर्षो यथा वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का वार्षिक प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।

(viii) **पैन काडः**–पैन कार्ड, जो संस्था के नाम से हो, संलग्न करना होगा।

(ix) **दिव्यांग प्रक्षेत्र विशेषकर मानसिक दिव्यांग प्रक्षेत्रः**–आवेदक संस्था के पास अनिवार्य रूप से 02 वर्षो या उससे अधिक का मानसिक दिव्यांग बच्चों / व्यक्तियों के लिए विशेष गृह के संचालन का अनुभव होना चाहिए। संस्था को अनुभव संबंधित

प्रमाण–पत्र (विशेष गृह का संचालन अवधि एवं वर्षवार लाभुकों की संख्या अंकित हो) संलग्न करने के साथ–साथ संस्था का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विवरणी संलग्न करना आवश्यक होगा।

(x) संस्था के पास आधारभूत संरचना के रूप में मकान (अपना अथवा किराये का) उपलब्ध हो। अपना भवन / मकान होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है। मकान दिव्यांगो हेतु बाधामुक्त (Barrier Free) होना चाहिए एवं न्यूनतम 3000 वर्गफीट क्षेत्रफल में फैला होना चाहिए। किराये के मकान की स्थिति में मकान का एकरारनामा / किरायानामा की प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर भेजा जाना होगा।

(xi) संस्था के पास प्रशिक्षित कर्मी विशेष तौर पर विशेष प्रशिक्षक, ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्ट, काउन्सलर आदि वांछित योग्यता के अनुरूप निर्धारित संख्या में उपलब्ध हों तथा निर्धारित मापदडों के अनुरूप प्रशिक्षित होने चाहिए।

(xii) संस्थान आसरा गृह में सुरक्षित तथा सुगम्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा।

(xiii) आवासित लाभुकों को यथासंभव अपने परिजनों के साथ पुनः एकीकृत करने का प्रयास करेंगे।

(xiv) पुनर्वासित लाभुकों का नियमित अनुश्रवण हो ताकि वे पुनः अलगाव अथवा निराश्रित जीवन जीने के लिए बाध्य न हो।

(xv) गृह प्रबंधन समिति को कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले एजेंसी के चयन में सहयोग करने के साथ–साथ लाभुकों को वित्तीय रूप से स्वावलंबित बनाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा।

(xvi) वैसे संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास Counselling facilities, Health Tie-up, Vocational Training, Career Counselling आदि के साथ–साथ आवासितों के Hobbies Development एवं Sports Facilities की सुविधा उपलब्ध हो।

(xvii) गृह में आवासित लाभुकों को यथासंभव आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य संबंधी योजना से जोड़ना आवश्यक होगा ।

(xviii) गृह संचालन एवं आवासित लाभुकों के लिए ठोस कार्ययोजना वाले लाभुकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(xix) चयनित संस्था द्वारा निम्न कार्य संपादित किये जायेगे :–

1. लाभुकों को आवासीय, भोजन, कपड़े एवं अन्य आवश्यक जरूरतों की पूर्ति करना।
2. गृह में प्रवेश / नामांकन के दौरान आवासिनों या लाभुकों का स्क्रीनिंग करना।
3. जीवन में किसी भी अवसर पर किसी प्रकार की हिंसा से प्रभावित आवासिनों / लाभुकों तथा उनके परिवारजनों की काउंसिलिंग करना।
4. आवासिनों / लाभुकों को स्वतंत्र जीवन अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।

5. गृह के कर्मियों को आवासिनों के साथ अच्छा व्यवहार करवाने के लिए संवेदनशील बनाना।

6. इसके अतिरिक्त अन्य कार्य नियमानुसार / निदेशानुसार एवं समय–समय पर निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में किये जायेगे।

7. वर्तमान मार्गदर्शिका में वर्तमान में दिये गये निर्देशों में यदि भविष्य में संशोधन किये जाते है, तब चयनित संस्थान को उक्त के आलोक में कार्रवाई / सेवा प्रदान करनी होगी।

(xx) **शपथ पत्रः–**संस्था को न्यायालय / सरकार द्वारा बेदखल / ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है, इस आशय का शपथ–पत्र (मूलप्रति में) देना होगा । शपथ–पत्र विज्ञापन प्रकाशन के बाद की तिथि का होना चाहिए।

नोटः–उपरोक्त कंडिका 1 से 12 में उल्लेखित दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य है । सभी संलग्न दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होने चाहिए।

(xxi) **आवेदन की प्राप्तिः–**आवेदक संस्थाओं के आवेदन सीलबंद लिफाफे में सिर्फ स्पीड पोस्ट / निबंधित डाक से ही स्वीकार्य होंगे। किसी अन्य माध्यम से भेजे गये आवेदन तथा निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त हुए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा । विज्ञापन प्रकाशन के 21 दिनों के अन्दर वांछित अर्हता के साथ पूर्ण प्रस्ताव (पृष्ठ विवरणी एवं अभिलेख सहित) समर्पित करना होगा। अपूर्ण / अधूरे प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा तथा प्रथम दृष्टव्या में ही रद्द समझा जायेगा।

(xxii) **आवेदन के दस्तावेजों का प्रमाणीकरणः–**आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज, स्वच्छ एवं स्पष्ट मुद्रित होने चाहिए तथा यह संस्था के सचिव या अध्यक्ष द्वारा मुहर सहित स्वहस्ताक्षरित होगा ।

(xxiii) दस्तावेजों से संबंधित संलग्न चेकलिस्ट पूर्ण (Fill up) किया जाय। सभी दस्तावेजों को अनुक्रमवार रखने तथा स्थायी पताकाकृत (Indedxing & Flagging) भी करना अनिवार्य होगा।

(xxiv) विज्ञापन रद्द करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । विभागीय चयन समिति के माध्यम से उपर्युक्त संस्था का चयन किया जायेगा । समर्पित प्रस्ताव के सभी पृष्ठ स्वअभिप्रमाणित हो। जॉच के दौरान सत्यापन हेतु मूलप्रति को प्रस्तुत करना होगा।

पताः–निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, पटना–800001 ।

<u>कर्मियों की योग्यताः–</u>

क्र0	पदनाम	प्रति गृह प्रस्तावित पदों की सं0	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	अनुभवन	प्रस्तावित मासिक मानदेय (रू0 में)	वर्षिक प्रस्ताविक राशि (रू0 में)
1.	अधीक्षक (प्रभारी)	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	I. स्नातकोत्तर / मनोविज्ञान / समाजशास्त्र अथवा II. बैचलर इन मेंटल रिटारडेशन अथवा III. मानसिक मंदता में बी०एड० डिप्लोमा	अधीक्षक / समकक्ष के पद पर क्रमांक– I एवं II के लिए न्यूनतम 3 वर्ष एवं क्रमांक– IV लिए न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव ।	25,000	3,00,000
2.	काउन्सलर	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम55 वर्ष	I. स्नातकोत्तर / मनोविज्ञान / समाजशास्त्र अथवा II. बैचलर इन मेटल रिटारडेशन अथवा III. मानसिक मंदता में बी०एड० डिप्लोमा IV. पी०जी० डिप्लोमा (क्लीनिकल साइकोलॉजी)	क्रमांक I, II एवं III के लिए न्यूनतम 3 वर्ष एवं क्रमांक–iv के लिए एक वर्ष का अनुभव ।	17,500	2,10,000
3.	परिवीक्षा अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी /	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम55 वर्ष	(i) स्नातकोत्तर / मनोविज्ञान /	परिवीक्षा अधिकारी से संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 2	17,500	2,10,000

क्र0	पदनाम	प्रति गृह प्रस्तावित पदों की सं0	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	अनुभवन	प्रस्तावित मासिक मानदेय (रू0 में)	वर्षिक प्रस्ताविक राशि (रू0 में)
	मामला कार्यकर्त्ता (प्रोवेशन ऑफिसर)			समाजशास्त्र अथवा (ii) बैचलर इन मेटल रिटारडेशन अथवा (iii) मानसिक मंदता में बी०एड० डिप्लोमा	वर्षो का अनुभव।		
4.	गृह माता (हाउस मदर)	2	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम55 वर्ष	1. स्नातक (प्रतिष्ठा) / मनोविज्ञान / समाजशास्त्र	गृहपति से संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्षो का अनुभव	11,000	2,64,000
5.	स्पेशल एजुकेटर (शिक्षक)	2	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	1. स्पेशल एजुकेशन (एम0आर0 में बी0एड0) अथवा 2. स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा	क्रमांक–I निःशक्त बच्चो / व्यक्तियों के साथ कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्षों का कार्य अनुभव एवं कमांक–II में 5 वर्षों का अनुभव ।	17,500	4,20,000
6.	ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्ट	2	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	1. ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्ट में स्नातक 2. औक्यूपेशनल थिरेपिस्ट में डिप्लोमा ।	क्रमांक–I के लिए 2 वर्ष एवं कमांक–II के लिए 5 वर्ष का अनुभव ।	17,500	4,20,000
7.	चिकित्सक (अंशकालीन) (सप्ताह में कम से कम	1	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से	2 वर्षों का कार्य का अनुभव ।	1,500 निरीक्षण (कुलः 8	1,44,000

क्र0	पदनाम	प्रति गृह प्रस्तावित पदों की सं0	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	अनुभवन	प्रस्तावित मासिक मानदेय (रू0 में)	वर्षिक प्रस्ताविक राशि (रू0 में)
	दो दिन प्रत्येक भिजिट दो घंटे के लिए होगा।			एम0बी0बी0एस0 की डिग्री ।		निरीक्षण) 12,000	
8.	मनोचिकित्सक (अंशकालीन) (एक सप्ताह में कम से कम दो दिन प्रत्येक विजिट तीन घंटे के लिए होगा।	1	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से मनोचिकित्सक में स्नातकोत्तर (MD) / डिप्लोमा (DPM)	MD में एक वर्ष का एव DPM में 2 वर्षों का कार्य का अनुभव ।	2,000 निरीक्षण (कुलः 8 निरीक्षण) 16,000	1,92,000
9.	ए0एन0एम0	1	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	नर्सिंग से (जी0एन0एम0) डिप्लोमा	किसी सरकारी अथवा Indian Nursing Council से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नर्सिंग क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र	12,000	1,44,000
10.	लेखापाल सह भंडारपाल	1	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	बी0 कॉम की डिग्री	लेखा क्षेत्र में कार्य करने का 3 वर्षों का अनुभव । कम्प्यूटर का ज्ञान ।	15,000	1,80,000
11.	हाउस मेड (दाई / केयर टेकर)	4	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण	संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का 3 वर्षों का अनुभव	7,500	3,60,000

क्र0	पदनाम	प्रति गृह प्रस्तावित पदों की सं0	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	अनुभवन	प्रस्तावित मासिक मानदेय (रू0 में)	वर्षिक प्रस्ताविक राशि (रू0 में)
12.	रसोईया	1	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण	खाना बनाने का 3 वर्षों का अनुभव ।	7,500	90,000
13.	हेल्पर	2	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण खाना बनाने का 3 वर्षो का अनुभव ।	खाना बनाने एवं महिलाओं, बलिकाओं के देख–रेख कार्य 3 वर्षों का अनुभव	6,000	1,44,000
14.	सुरक्षा प्रहरी	3	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण	संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का 3 वर्षों का अनुभव	7,500	2,70,000
15.	अनुसेवक (Peon)	2	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण	संबंधित क्षेत्र में 3 वर्षों का अनुभव	7,500	1,80,000
16.	धोबी	—	—	—	—	—	
	कुल योगः–	25	—	—	—	—	**35,28,000**

स्वयंसेवी संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html पर उपलब्ध मार्गदर्शिका के आलोक में मापदंडों एवं योग्यता के आधार पर कर्मियों की सेवा विशेष गृह हेतु उपलब्ध करानी होगी।

विशेष गृह का संचालन विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

28/1/25

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।